न्यायालयः — अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—743 / 2016 संस्थित दिनांक 04.11.16 फाईलिंग नं.—3012882016

7,00
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>अभियोजन</u>
// <u>विरूद</u> //
दुक्खू मेरावी (विश्वकर्मा) पिता गुलालसिंह मेरावी उम्र 55 साल,
साकिन मानेगांव थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
<u> </u>
// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनाक 21/03/2018 को घोषित)</u>

- 01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 452, 323, 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 20.10.2016 को समय 11:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में फरियादी गयाप्रसाद को अश्लील गालियाँ देकर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी गयाप्रसाद के घर में उपहित, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया और फरियादी गयाप्रसाद को लकड़ी से सिर में, दाहिने हाथ की कलाई में और बांये पिंडली में मारपीट कर चोट पहुँचाकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित कर फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी गयाप्रसाद ने दिनांक 20.10.16 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.10.16 को करीब 11:30 बजे दिन में वह अपने घर की छपरी में सामने बैठा था, तभी गांव का दुक्खीलाल विश्वकर्मा उससे बोला कि गांजा कहाँ मिलता है, तब उसने उससे कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है, तब दुक्खीलाल उसे माँ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देने लगा जो सुनने में बहुत बुरी लग रही थी।

उसने गाली देने से मना किया और उसके घर के अंदर घुसकर लकड़ी से मार दिया, मारने से उसके सिर में, दाहिने हाथ की कलाई में, बांये पिंडली में चोट खरोंच आई। उसके चिल्लाने पर भाई ओमकार एवं पड़ोस के मिन्तू पंचतिलक, मजिद खान आये और बीच—बचाव किये तथा दुक्खूलाल जाते—जाते बोला कि अगर वह गांजा वालों का पता नहीं बताएगा तो जान से मारने की धमकी दिया। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुलाहिजा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, घटनास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान कमांक 127/16 दिनांक 25.10.16 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 452, 323, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी / आहत गयाप्रसाद ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्त ने अपने परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूटा फॅसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1.क्या आरोपी ने दिनांक 22.10.2016 को समय 11:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में फरियादी गयाप्रसाद के घर में उपहित, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

05— फरियादी गयाप्रसाद अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष ठंड के समय दिन की है। घटना के समय उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने बिरसा थाने में शिकायत

दर्ज कराई थी, जहाँ पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लिये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 तथा मौका—नक्शा प्र.पी.05 के अ से अ भागों पर उसके हस्ताक्षर है, परंतु पुलिस उसके यहाँ नहीं आई थी। पुलिस को उसने बयान नहीं दिया था।

- 06— फरियादी गयाप्रसाद अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.11.2016 को करीब 11:30 बजे जब वह घर के सामने की छपरी में बैठा था, तभी आरोपी दुक्खु उसके घर के सामने आकर गांजे की बात पर उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देने लगा जो उसे सुनने में बुरी लगी थी, जब उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो वह हाथ में लकड़ी लेकर उसके घर में घुस गया और उसे लकड़ी से मार दिया, जिससे उसे सिर, हाथ की कलाई तथा पैर की पिण्डली में चोटें आई थी, उसके चिल्लाने पर भाई ओमकार तथा पड़ोस के हंसराज एवं मजीज खान ने आकर बीच—बचाव किया, आरोपी ने जाते समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 07— साक्षी गयाप्रसाद अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर के अंदर नहीं आया था, उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी ने उससे कोई मारपीट नहीं की थी, उसका आरोपी से समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
- 08— साक्षी ओमकार प्रसाद अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब दस माह पूर्व दोपहर के समय ग्राम मानेगांव की है। घटना के समय वह अपनी सायिकल दुकान पर काम कर रहा था, तब उसे पता लगा था कि आरोपी ने उसके भाई गयाप्रसाद के साथ घटना किया था। वह जब घटनास्थल पर पहुँचा, तब तक आरोपी वहाँ से जा चुका था। बाद में उसे पकड़कर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

आरोपी ने लकड़ी से उसके भाई के सिर पर मारा था, जिससे उसे चोट लगी थी, आरोपी को पुलिस लकड़ी के साथ थाने लेकर गई थी और थाने में पुलिस ने उससे जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर लिये थे, जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 09— साक्षी ओमकार प्रसाद अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे बताया गया था कि आरोपी ने गयाप्रसाद को गंदी—गंदी गालियाँ दी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने घर में घुसकर लकड़ी से मारपीट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने गयाप्रसाद को जान से मारने की धमकी दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी, वह लोगों के बताये अनुसार घटना की बात बता रहा है, वह जब घटनास्थल पर पहुँचा तब—तक आरोपी वहाँ से चला गया था, आरोपी ने उसके समक्ष किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की थी, आरोपी घर के अंदर नहीं घुसा था, आरोपी एवं फरियादी एक—दूसरे को गाली—गलौच कर रहे थे, जिस पर विवाद हुआ था, पुलिस ने उसके समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की थी और जप्ती पत्रक पर उसके बिरसा थाने में हस्ताक्षर ले लिये थे।
- 10— साक्षी मिन्टू उर्फ हंसराम अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी दुक्खू मेरावी एवं फरियादी गयाप्रसाद को जानता है। घटना करीब साल भर पहले 12:00 बजे दोपहर की है। वह अपनी दुकान होटल पर था। उसी समय आरोपी दुक्खू गयाप्रसाद सोनी को रोड पर उसके घर के सामने मादरचोद, मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दे रहा था, जो सुनने में बुरी लग रही थी। फिर गयाप्रसाद कि बचाव—बचाव की आवाज सुनी तो वह वहाँ पर पहुँचा और देखा कि फरियादी गयाप्रसाद के सिर से खून निकल रहा था। मौके पर मजीद खान, मंगलप्रसाद तथा गयाप्रसाद के भाई—भतीजे आ गये थे। इसके अतिरिक्त उसके सामने आरोपी एवं फरियादी के बीच कुछ नहीं हुआ था।
- 11— साक्षी मिन्टू उर्फ हंसराम अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जब गयाप्रसाद की बचाव—बचाव की आवाज सुनाई पड़ी तो उसने जाकर देखा कि दुक्खू

लोहार गयाप्रसाद के घर में घुसकर गयाप्रसाद सोनी को लकड़ी से मारपीट कर रहा था, जिससे गयाप्रसाद को सिर में, दाये हाथ में एवं बांये पैर में चोट लगी थी, जब आरोपी फरियादी को मारपीट कर रहा था तो उसने ओमकार सोनी एवं मजीद खान के साथ मिलकर बीच—बचाव किये है, उसके सामने दुक्खू लोहार गयाप्रसाद सोनी को जान से मारने की धमकी दे रहा था, उसने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि गयाप्रसाद को दुक्खू ने घर में घुसकर लकड़ी से मारकर चोट पहुँचाया है, उसने पुलिस को प्रपी—02 का ए से ए भाग ''जाकर देखा तो...........उसका कथन है'', का कथन दिया था, वह आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

- 12— साक्षी मिन्टू उर्फ हंसराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में में यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी को गाली देते नहीं सुना था। साक्षी के अनुसार आरोपी एवं फरियादी दोनों एक—दूसरे को गाली बक रहे थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी एवं फरियादी में से पहले किसने गाली—गलीच की थी।
- 13— साक्षी अब्दुल मजीद अ.सा.03 ने कथन किया हैं कि वह आरोपी दुक्खू मेरावी एवं फरियादी गयाप्रसाद को जानता है। घटना करीब साल भर पहले 12:00 बजे दोपहर की है। वह अपनी दुकान पर था। उसी समय आरोपी दुक्खू गयाप्रसाद सोनी को रोड पर उसके घर के सामने मादरचोद, मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दे रहा था जो सुनने में बुरी लग रही थी। फिर गयाप्रसाद कि बचाव—बचाव की आवाज सुनी तो वह वहाँ पर पहुँचा और देखा कि फरियादी गयाप्रसाद के सिर से खून निकल रहा था। मौके पर मिन्दू मंगलप्रसाद तथा गयाप्रसाद के भाई—भतीजे आ गये थे। इसके अतिरिक्त उसके सामने आरोपी एवं फरियादी के बीच कुछ नहीं हुआ था।
- 14— साक्षी अब्दुल मजीद अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने गयाप्रसाद सोनी से पूछा था तो उसने बताया कि दुक्खू लोहार ने उसके घर में घुसकर लकड़ी से मारपीट किया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने देखा था कि गयाप्रसाद के सिर में, दांये हाथ में एवं बांये पैर में चोट लगी थी तथा सिर से खून निकल

रहा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी दुक्खू लोहार फरियादी गयाप्रसाद को जान से मारने की धमकी दे रहा था, उसने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि गयाप्रसाद को दुक्खू ने घर में घुसकर लकड़ी से मारकर चोट पहुँचाया है, उसने पुलिस को प्रपी—03 का ए से ए भाग ''उसने पूछा......मारपीट किया है'' एवं बी से बी भाग ''दुक्खू लोहार.....दे रहा था'', का कथन दिया था, वह आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

- 15— साक्षी अब्दुल मजीद अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा गाली देते नहीं सुना था। साक्षी के अनुसार आरोपी एवं फरियादी दोनों एक—दूसरे को गाली बक रहे थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी एवं फरियादी में से पहले किसने गाली—गलौच की थी।
- 16— प्रकरण की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि प्रकरण के फरियादी गयाप्रसाद अ.सा.04 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अन्य साक्षी मिन्टु उर्फ हंसराम अ.सा.02 तथा अब्दुल मजीद अ.सा.03 के अनुसार आरोपी एवं फरियादी एक—दूसरे को गाली दे रहे थे तथा पहले किसने गाली—गलौच की थी उन्हें जानकारी नहीं है तथा साक्षी ओमकार अ.सा.01 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी एवं फरियादी एक—दूसरे को गाली—गलौच कर रहे थे, जिस पर विवाद हुआ था, उसके समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी तथा उसने मात्र जप्ती पत्रक पर बिरसा थाने में हस्ताक्षर किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 22.10.2016 को समय 11:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में फरियादी गयाप्रसाद के घर में

उपहित, हमला कारित करने या कारित करने की तैयारी के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतः आरोपी दुक्खू मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–452 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 17- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 18— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 09.12.17 से दिनांक 14.03.2018 तक निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पुरानी लकड़ी करीब तीन फीट मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

